

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/2015श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

120

प्रेषक,

मो० सलीम
श्रम आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया/जहानाबाद/किशनगंज/वैशाली(हाजीपुर)/मधुवनी/नवादा

पटना, दिनांक :-

16.3.16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी0 2230017890102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1442 दिनांक 15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹ 1500/- पुनर्वास के उपरांत 30 दिन के राशन के लिए एवं ₹ 500/- विमुक्ति के पश्चात बंधुआ मजदूरों का भोजन नास्ता वस्त्र दवा आदि पर होने वाले व्यय के लिए अर्थात् कुल ₹ 2000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से कुल 280 बंधुआ मजदूरों को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन कुल ₹ 5,60,000 (₹ पाँच लाख साठ हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

मो० सलीम

श्रम आयुक्त, बिहार।

16/3/16

ज्ञापक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

120

पटना, दिनांक

16.3.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मो० सलीम

श्रम आयुक्त, बिहार।

16/3/16

ज्ञापक- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0

120

पटना, दिनांक

16.5.16

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपश्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनक -86(श्रमपक्ष) दिनांक-02.03.16 के आलोक में /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

मो० सलीम

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1442 दिनांक 15.5.15 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी0 2230017890102) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र. सं.	जिला का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01) इकाई से ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 500/- भोजन नाश्ता वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर	अध्युक्ति
1	2	3	4	5
1	गया	201	402000	सहायक श्रमायुक्त, क०श्र० गया का पत्रांक-296 दिनांक-23.5.15 को जयपुर राजस्थान से विमुक्त 13 बंधुआ मजदूरों के लिए एवं श्रम अधीक्षक क०श्र० गया के पत्रांक-271 दिनांक-07.05.15 के आलोक में जयपुर, राजस्थान से दिनांक-18.04.14 एवं 28.07.14 को विमुक्त क्रमशः 09 एवं 75 तथा दिनांक-14.10.14 को विमुक्त 51 को सूची से शेष बचे 36 बंधुआ मजदूरों के लिए (क्रम सं.-14 से 28 एवं 31 से 51) तथा मिर्जापुर (यू.पी.) से दि.-09.02.15 एवं 18.02.15 को विमुक्त क्रमशः 14 एवं 54 के लिए ।
		59	118000	श्रम अधीक्षक, क०श्र० गया का पत्रांक-271 एवं 272 दोनों दिनांक-9.5.15 के आलोक में क्रमशः झज्जर, हरियाणा से विमुक्त 57 एवं लखनऊ, (यू. पी.) से विमुक्त 2 बंधुआ मजदूर के लिए ।
2	जहानाबाद	04	8000	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-366 दिनांक-08.06.15 के आलोक में
3	किशनगंज	01	2000	श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-242 दिनांक-05.05.15 ।
4	वैशाली (हाजीपुर)	07	14000	जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) के पत्रांक-1986 दिनांक-31.12.14 के आलोक में
5	मधुवनी	03	6000	श्रम अधीक्षक, मधुवनी का पत्रांक-150 दिनांक-28.2.15 के आलोक में ।
6	नवादा	05	10000	जिला पदाधिकारी नवादा का पत्रांक-88 दिनांक-8.4.15 के आलोक में ।
कुल योग		280	560000	

कुल आवंटित अतिरिक्त राशि ₹ 5,60,000 (₹ पांच लाख साठ हजार) मात्र ।

(मो० सलीम) 16/3/16
श्रमायुक्त, बिहार।
16/3/16